न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी

आशीष गुप्ता
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.144/प्रा.पत्र/2018 (GCMS No. 2018/00380)	30.05.2018	12.10.2020

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

मृतक नन्दा मीणा आ. भूरा मीणा जर्ये कायम मुकाम –
गंगाबाई पुत्री स्व.नन्दा मीणा निवासी ग्राम बागदा (**फौत**)
बदाम पत्नी स्व. नन्दा मीणा निवासी ग्राम बागदा (**फौत**)
पुष्पराज आ. स्व.नन्दा मीणा निवासी ग्राम बागदा, तह. बून्दी
हाल निवासी ग्राम आमली, पोस्ट एवं ग्राम पंचायत मंड़ाप,
तहसील सांगोद, जिला कोटा (राज0)

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी की ओर से श्री औराक नैयर एडवोकेट।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी नन्दा आ. भूरा कौम मीणा, निवासी ग्राम बागदा, तहसील बून्दी को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 222 रकबा 5 बीघा वाकेग्राम बागदा, आवंटन आदेश दिनांक 11.03.1984 को निरस्त किये जाने हेतु नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम,1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। मूल आवंटन पत्रावली प्रार्थना पत्र के संलग्न प्राप्त हुई।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर, दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को वास्ते जवाब जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी के फोत हो जाने से उसके पुत्र को कायम मुकाम बनाया जाकर कार्यवाही की गई।

जिला कलेक्टर: बून्दी

बहस उभय पक्ष सुनी गयी ।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी को दिनांक 11.03.1984 को आवंटन की गई थी, आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है एवं आवंटी द्वारा आरक्षित मूल्य भी जमा नहीं करवाया गया है। जिस कारण आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना प्रमाणित है। ऐसे में आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की जावें।

अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी के पिता नन्दा आ. भूरा मीणा को आवंटित भूमि बाबत अप्रार्थी के पिता द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गई है। आवंटी का देहान्त हो चुका है, उनके बाद आवंटी का पुत्र अप्रार्थी पुष्पराज का उक्त कृषि भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त है। ऐसे में गलत तथ्यों के आधार पर विलम्ब से पेश किया गया प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावे।

न्यायालय ने पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया एवं बहस पर गहनता से मनन किया। आवंटी नन्दा आ. भूरा कौम मीणा, निवासी ग्राम बागदा, तहसील बून्दी को मिसल संख्या 94/1984 पर दिनांक 11.03.1984 को भूमि खसरा संख्या 222 रकबा 5 बीघा वाकेग्राम बागदा का आवंटन किया जाना प्रकट है। संलग्न आवंटन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा आवंटन हेतु (चम्बल परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमियों का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1957 के तहत आवेदन किया गया। आरक्षित मूल्य राशि 2000/– रूपये जमा करवाये जाने की शर्त पर उक्त नियमों के तहत आवंटी को उक्त भूमि का आवंटन किया गया। तहसीलदार बून्दी के नोटिस दिनांक 05.09.98 के अनुसार आवंटी के विरूद्ध ब्याज सहित 5625/– रूपये बकाया होना जाहिर है, जिसे जमा कराये जाने के संबंध में अप्रार्थी द्वारा कोई कथन नहीं किया। इस प्रकार उक्त भूमि कमाण्ड क्षेत्र में स्थित होने से अनकमाण्ड क्षेत्र के कृषि भूमि आवंटन नियम,1970 के नियम 14(4) के तहत कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। ऐसे में कमाण्ड क्षेत्र की भूमि पर चम्बल परियोजना क्षेत्र के नियमों के तहत आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही पेश नहीं किये जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी नियमान्तर्गत नहीं है, जो अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

जिला कलेक्टर; बून्दी

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी निर्धारित नियमों के अन्तर्गत पेश नहीं किये जाने एवं अपूर्ण होने से अस्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बून्दी को मूल आवंटन पत्रावली लौटाकर निर्देश दिये जाते है कि आवंटित भूमि पर आवंटी के कब्जा काश्त के संबंध में मौका रिपोर्ट, आवंटी द्वारा आरक्षित मूल्य जमा होने या राशि बकाया होने बाबत रिपोर्ट एवं आवंटन शर्तो की पालना के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट सहित प्रकरण राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमियों का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1957 के तहत तैयार कर भिजवाये जाने पर ही प्रकरण के संबंध में कोई निर्णय लिया जा सकेगा।

आदेश आज दिनांक 12.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर, बून्दी